

सं०: यूसिल/नरवा/इ०एम०/०९/२०२२

दिनांक: १७/०६/२०२२

सूचना

नरवापहाड़ कॉलोनी में निम्नलिखित दुकान आवंटन हेतु अनुभवी तथा आर्थिक रूप से सक्षम एवं नरवापहाड़ खान के विस्थापित तथा प्रभावित उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

- १ दवा (Allopathic) की दुकान
- २ इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के उपकरण और मोटर वाइंडिंग, एयर कंडीशनर, पंखा, कुलर इत्यादि की बिक्री एवं मरमत की दुकान

आवेदन पत्र के साथ २०००/- रुपये की डिमांड ड्राफ्ट प्रति दुकान स्वरूप यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जादुगोड़ा के नाम से जमा करना होगा। पेशगी जमा राशि निविदा में असफल घोषित आवेदकों को बिना व्याज वापस कर दिया जाएगा। इस निविदा में सफल आवेदक की पेशगी जमा राशि प्रबंधन के पास सुरक्षित रखी जाएगी एवं निविदा के नियम के अनुपालन में कोई शिकायत होने की स्थिति में पेशगी जमा राशि प्रबंधन द्वारा जब्त कर ली जाएगी। आवंटित दुकान के निरीक्षण हेतु इच्छुक उम्मीदवार यदि चाहें तो सम्पदा कार्यालय, नरवापहाड़ के कार्य अवधि के दौरान सुबह ८ बजे से ११.३० बजे एवं दोपहर ३ बजे से ४ बजे के बीच आकर दुकान का निरीक्षण कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जो आर्थिक रूप से सक्षम एवं सुचारू रूप से दुकान चलाने में समर्थ हैं, वे मुख्य अधीक्षक (भौतकी), नरवापहाड़, डाकघर: नरवा माइंस, जिला: प्रूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड-८३२ ९९९ को १६/०६/२०२२ या उससे पहले दुकान आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं। दुकान आवंटन हेतु आवेदन के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य हैं:

शर्तेः

१ आवासीय प्रमाण पत्र

- (क) सरकार द्वारा जारी आवासीय प्रमाण पत्र
- (ख) निर्वाचन पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड

२ दवा की दुकान के लिए:

(क) आवेदक के नाम पर डिपलोमा फार्मेसिस्ट सरकार द्वारा जारी की गई का होना आवश्यक है तथा वैध पंजीकरण का होना भी आवश्यक है।

(ख) इस क्षेत्र में आवेदक का कम से कम दो वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।

(ग) आवेदक के पास आर्थिक सम्पन्नता जैसे फिक्सड डिपोजिट/एन०एस०सी०/ किसान विकास पत्र तथा पिछले तीन महीने (आवेदन करने की तारिख से) का बैंक पासबुक में आदान-प्रदान, इन सभी की छायाप्रतिलिप जमा करना होगा।

(घ) दुकान आवंटन होने के पश्चात, आवंटित दुकानदार को कम से कम 60% एलोपेथिक दवाईयों और बाकि के 40% में आयुर्वेदिक, हौमियोपौथिक तथा बच्चों की पौष्टिक आहार रखना आवश्यक है।

(ङ) इस क्षेत्र में जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के आधार पर योग्यता तय की जाएगी।

३ इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के उपकरण और मोटर वाइंडिंग, एयर कंडीशनर, पंखा, कुलर इत्यादि की मरमत की दुकान के लिए

- (क) इस कार्य आवेदक के नाम पर सरकार द्वारा जारी की गई दक्षता प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।
- (ख) आवेदक के पास आर्थिक सम्पन्नता जैसे फिक्सड डिपोजिट/एन०एस०सी०/ किसान विकास पत्र तथा पिछले तीन महीने (आवेदन करने की तारिख से) का बैंक पासबुक में आदान-प्रदान, इन सभी की छायाप्रतिलिपि जमा करना होगा।
- (ग) दुकान आंवटन होने के पश्चात, आंवटित दुकानदार घरेलु बिजली की वस्तु तथा वह अपनी दुकान में बिजली की वस्तु जैसे एयर कंडीशनर, पंखा, कुलर, गाइंडर मशीन इत्यादि की मरमत की व्यवस्था भी रखना होगा।
- (घ) इस क्षेत्र में जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के आधार पर योग्यता तय की जाएगी।

विस्थापित आवेदको के लिए

१ आवेदक के पास प्रबंधन द्वारा निर्गत भूमि विस्थापन प्रमाण पत्र अपने नाम का होना अनिवार्य है जो प्रबंधन के विस्थापन एंव पुर्नवास नीति के अनुसार प्रदान किया गया है। तथा उम्मीदवार किसी भी सरकारी अथवा बेसरकारी कम्पनी में स्थाई कर्मचारी न हो।

२ आवेदक को ग्राम प्रधान अथवा गांव के मुखिया द्वारा जारी खुरसीनामा देना आवश्यक होगा।

दुकान आवंटन के संबंध में आवश्यक उपर लिखित योग्यताओं में किसी प्रकार की भी त्रुटि पाए जाने की अवस्था में आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

प्रबंधन द्वारा बुलाए जाने पर आवेदक को निर्धारित समयानुसार (जिसकी तिथि एंव समय बाद में आवेदक को सूचित की जाएगी) प्रबंधन के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपर लिखी गई दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

दुकान का आवंटन अनुमति पत्र (लाइसेंस) के आधार पर होगा। आवेदक को प्रबंधन के साथ एक अनुज्ञित अनुबंध कराना होगा जो ग्यारह महीने की अवधि के लिए होगा एंव ग्यारह महीने से पहले प्रबंधन द्वारा मान्य नहीं होगी। अनुबंध एंव सूचना संबंधित विस्तृत जानकारी सम्पदा कार्यालय, नरवापहाड़ से प्राप्त की जा सकती है।

किसी भी आवेदन पत्र को किसी भी कारण से स्वीकृत या रद्द करने का स्वतंत्र अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।


युरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्रतिलिपि:

सभी विभागध्यक्ष
सभी सूचनापट